

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।

आदेश


संख्या: 1778(II) / VIII-2 D / 24 / उ0शा0 / 2024 दिनांक 09 सितम्बर, 2024

"महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (बचाव, निषेध, निवारण) अधिनियम, 2013 के अधीन आन्तरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना।"

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के अनुमोदन दिनांक 06 सितम्बर, 2024 के आलोक में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल हेतु [The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013] महिलाओं का यौन शोषण (बचाव, निषेध, निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसार एक (Internal Complaints Committee) "आन्तरिक परिवाद समिति" का गठन निम्नानुसार किया जाता है।

क्रम संख्या	समिति के पदाधिकारियों/कर्मचारियों का नाम, पदनाम एवं विभाग	पदनाम/दायित्व	मोबाइल नम्बर
1	श्रीमती अनीता आर्या, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।	पीठासीन अधिकारी	7500871530
2	श्री प्रदीप कुमार मणि, सदस्य-सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।	सदस्य	6397344127
3	श्री अरुण वोहरा, विशेष कार्याधिकारी/उप सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।	सदस्य	9411102046
4	श्रीमती गायत्री दरम्वाल, सामाजिक कार्यकर्ती (सदस्य एन0जी0ओ0- विमर्श संस्था)	सदस्य	9627437233

2- महिलाओं का यौन शोषण (बचाव, निषेध, निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 (3) के अनुसार आन्तरिक समिति का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य के नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेगा, जो नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।


(प्रदीप कुमार मणि)
सदस्य-सचिव